



**केन्द्रीय स्थापना अनुभाग
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
देहरादून**

बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त – भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून के औषधालय द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के आधार पर बैंक औषधालय एवं सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को डोरस्टेप डिलिवरी पर औषधियों की आपूर्ति हेतु

निविदा सं. - [RBI/Dehradun Regional Office/HRMD/1/25-26/ET/207](#)

निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक दिनांक 17 जुलाई 2025 को बहुउद्देश्यीय हॉल, भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून में 1200 बजे से आयोजित की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून के अधिकारियों और प्रतिभागियों की सूची [अनुलग्नक](#) में दी गई है।

2. निविदा के बारे में संक्षिप्त परिचय के पश्चात, इच्छुक बोलीदाताओं/ फर्मों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्रम सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1.	वितरण लागत कौन वहन करेगा?	खंड V के पैरा 2 (c) के संदर्भ में – कार्य क्षेत्र, वितरण लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
2.	यदि दवा की डिलीवरी का प्रयास किया जाता है और कर्मचारी अपने निवास पर उपलब्ध नहीं है, तो डिलीवरी / रिसीविंग कैसे सुनिश्चित की जाएगी?	कार्य क्षेत्र की खंड V के पैरा 1 (f) (vi) के अनुसार, दवाएं परिवार के सदस्यों को भी सौंपी जा सकती हैं और उनसे रिसीविंग प्राप्त की जा सकती हैं।
3.	एक से अधिक विक्रेताओं के मामले में कार्य कैसे विभाजित किया जाएगा?	कृपया खंड V – कार्य क्षेत्र के पैरा 7 का संदर्भ लें।
4.	उन दवाओं को वापस करने की प्रक्रिया क्या है जिन्हें रेफ्रिजरेट (तापमान संवेदनशील दवाएं) करने की आवश्यकता है और जिन्हें खुला नहीं बेचा जा सकता है?	यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी रेफ्रिजरेट दवा वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा, दवाओं को मूल पैकिंग में वापस किया जाएगा और कोई भी खुली दवा वापस नहीं की जाएगी।
5.	क्या विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा उत्पादों (जेनेरिक, ओटीसी, सर्जिकल आदि) के लिए अलग-अलग छूट उद्धृत की जानी है?	कृपया खंड V – कार्य क्षेत्र के पैरा 2 (a) का संदर्भ लें। आपूर्ति की सभी मदों के संबंध में एक समान छूट का उल्लेख किया जाना है।
6.	यदि कोई दवा (दवाओं) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है या आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या स्थानापन्न दवा (दवाओं) की आपूर्ति की जा सकती है?	कृपया खंड V – कार्य क्षेत्र के पैरा 1 (f) (x) का संदर्भ लें।
7.	क्या आपूर्ति की जाने वाली दवाओं को खुले या मूल निर्मित पैकेजिंग में वितरित की जानी है?	आपूर्ति विनिर्माता की मूल पैकिंग में की जानी अपेक्षित है। किसी भी दवा की आपूर्ति लगभग कुल मात्रा के निकटतम होनी चाहिए।

8.	सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मूल्य क्या होना चाहिए?	कृपया खंड V – कार्य क्षेत्र के पैरा 6 (c) का संदर्भ लें। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का मूल्य अनुबंध मूल्य के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
9.	अनुबंध की वैधता क्या होगी और क्या अनुबंध को आगे बढ़ाया जाएगा?	कृपया खंड V – कार्य का दायरा के पैरा 5 (a) और (b) का संदर्भ लें।
10.	किसी भी कारण से दवाओं की आपूर्ति रोकने से पहले बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली नोटिस अवधि क्या होगी?	यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाता (बोलीदाताओं) को दवाओं की आपूर्ति बंद करने से पूर्व 60 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है।
11.	जहां बीएमसी/बीएमओ परामर्श प्रदान करते हैं, उन सभी औषधालयों में रोगियों (कर्मचारियों/सेवानिवृत्त/आश्रितों) की वर्तमान संख्या (दैनिक या मासिक) क्या है?	औषधालय में मरीजों की वर्तमान संख्या एक महीने में लगभग 100-110 के बीच है।

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण इच्छुक बोलीदाताओं की सूचना के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज/करार का हिस्सा होगा। निविदा दस्तावेज और जारी किए गए शुद्धिपत्र, यदि कोई हों, के सभी नियम और शर्तें और विनिर्देश वही रहेंगे। बोलियां प्रस्तुत करना, बोली दस्तावेज और उपर्युक्त स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
देहरादून

प्रतिभागियों की सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों का नाम एवं पदनाम		
क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रमाकांत मैठाणी	प्रबन्धक
2.	श्री आशीष केशरवानी	सहायक प्रबन्धक
3.	श्री श्रेय गुप्ता	सहायक
4.	सुश्री अंशिका तोमर	सहायक

इच्छुक बोलीदाता एवं प्रतिनिधियों का नाम		
क्रम सं.	वेंडर का नाम	प्रतिनिधि का नाम
i.	मेसर्स महेन्द्र हैल्थकेयर	श्री तेजस चौधरी
ii.	मेसर्स अपोलो फार्मसी	श्री सुभाष चमोला श्री अमित बर्तवाल
iii.	मेसर्स फेयर प्राइस	श्री लोकेश शर्मा श्री अक्षांश शर्मा
iv.	मेसर्स मेड एट डोर	श्री मयंक कपूर